रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-एम.एच.-अ.-03122025-268196 CG-MH-E-03122025-268196

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 775] No. 775] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025/अग्रहायण 10, 1947 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/AGRAHAYANA 10, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 1 दिसम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2025

- सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/280.— भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात,-
- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन)
 विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से एक सौ अस्सीवें दिन लागू होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 में, शब्द "विनिधानकर्ता" या शब्द तथा चिह्न "विनिधानकर्ता (निवेशक)" या शब्द तथा चिह्न "निवेशक (विनिधानकर्ता)" जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, उनके स्थान पर शब्द "निवेशक" आ जाएगा; शब्द "विनिधानकर्ताओं" या शब्द तथा

8071 GI/2025 (1)

चिह्न "विनिधानकर्ताओं (निवेशकों)" या शब्द तथा चिह्न "निवेशकों (विनिधानकर्ताओं)" जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, उनके स्थान पर शब्द "निवेशकों" आ जाएगा; शब्द "विनिधान" या शब्द तथा चिह्न "विनिधान (निवेश)" या शब्द तथा चिह्न "निवेश (विनिधान)" जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, उनके स्थान पर शब्द "निवेश" आ जाएगा; शब्द "विनिधानों" या शब्द तथा चिह्न "विनिधानों (निवेश)" या शब्द तथा चिह्न "विनिधानों (निवेशों)" या शब्द तथा चिह्न "विनिधानों (विनिधानों)" या शब्द तथा चिह्न "निवेशों (विनिधानों)" जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, उनके स्थान पर शब्द "निवेश" आ जाएगा और शब्द "विनिधानयोग्य" जहाँ भी कहीं भी दिया हुआ हो, उसकी जगह शब्द "निवेशयोग्य" आ जाएगा, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक) विनियम, 2000 में,-

- विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ट) के बाद और खंड (ठ) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात,-
 - "(टक) भरोसेमंद विदेशी निवेशक हेतु एक ही पटल (ऑटोमैटिक एवं व्यापक) की व्यवस्था (सिंगल विंडो एक्सेस) [स्वागत एफआई] का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (द) में बताया गया है;"
- II. विनियम 3 में, उप-विनियम (2) में, पहले परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-"परंतु यह और कि उप-विनियम (2) के प्रावधान 'स्वागत-एफआई' के मामले में लागू नहीं होंगे।"
- III. विनियम 9 में, उप-विनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,
 "परंतु यह कि 'स्वागत-एफआई' के मामले में, रिजस्ट्रेशन की अविध को बढ़ाने [उसके नवीकरण
 (रिनुअल)] हेतु उतनी फीस दस वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक हेतु अदा की जाएगी जितनी फीस अदा करने का
 जिक्र दूसरी अनुसूची में किया गया है, लेकिन यह फीस रिजस्ट्रीकरण (रिजस्ट्रेशन) प्रमाणपत्र प्रदान किए
 जाने की तारीख से ग्यारहवें वर्ष से अदा करनी होगी।"
- IV. विनियम 11 में, खंड (ग) के बाद और स्पष्टीकरण वाले खंड से पहले, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि खंड (ग) के उप-खंड (i) में निर्धारित की गई 66.67% की और उप-खंड (ii) में निर्धारित की गई 33.33% की निवेश सीमाएँ 'स्वागत-एफआई' के मामले में लागू नहीं होंगी।"

- V. दूसरी अनुसूची में,
 - i. खंड (2) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि 'स्वागत-एफआई' के मामले में, रजिस्ट्रेशन की अवधि को बढ़ाने [उसके नवीकरण (रिनुअल)] हेतु फीस दस वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक हेतु अदा की जाएगी, ताकि उसका रजिस्ट्रेशन मान्य बना रहे।"

ii. खंड (3) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि 'स्वागत-एफआई' के मामले में, रजिस्ट्रेशन की अवधि को बढ़ाने [उसके नवीकरण (रिनुअल)] हेतु फीस दस वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक हेतु पहले ही ले ली जाएगी, लेकिन यह फीस रजिस्ट्रेशन की तारीख से ग्यारहवें वर्ष से अदा करनी होगी।"

> अमित प्रधान,कार्यपालक निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./511/2025-26]

पाद टिप्पण:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000, मूल विनियम,
 का.आ. सं. 832 (अ) द्वारा, 15 सितम्बर, 2000 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 तत्पश्चात् :-
 - (क) 7 जून 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम 2001, का.आ. सं. 501(अ), द्वारा;
 - (ख) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा;
 - (ग) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा;
 - (घ) 5 अप्रैल 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम 2004, का.आ. सं. 469(अ), द्वारा;
 - (ङ) 4 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम 2006, का.आ. सं. 1443(अ), द्वारा;
 - (च) 26 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा;
 - (छ) 29 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/11/167759, द्वारा;
 - (ज) 21 दिसम्बर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम 2010, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2010-11/22/30364, द्वारा;
 - (झ) 21 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, द्वारा;
 - (ञ) 30 दिसम्बर 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम 2014, सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/20/1972, द्वारा;
 - (ट) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा;
 - (ठ) 17 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा;

- (ड) 3 अगस्त 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा;
- (ढ) 9 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/99, द्वारा;
- (ण) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा;
- (त) 6 सितम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/203, द्वारा,संशोधित हए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 1st December, 2025

Securities And Exchange Board Of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2025

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/280.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations, to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000, namely, —

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2025.
- 2. They shall come into force on the one hundred eightieth day from the date of publication of these regulations in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000.
 - I. In regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (k) and before clause (l), the following clause shall be inserted, namely, -
 - "(ka) "Single Window Automatic and Generalised Access for Trusted Foreign Investor" or "SWAGAT-FI" shall have the same meaning as assigned to it under clause (r) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019;"
 - II. in regulation 3, in sub-regulation (2), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely, -
 - "Provided further that the provisions of sub-regulation (2) shall not be applicable to a SWAGAT-FI."
 - III. in regulation 9, in sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that in case of a SWAGAT-FI, the renewal fees shall be paid for every block of ten years, from the beginning of the eleventh year from the date of grant of certificate of registration as specified in the Second Schedule."

IV. In regulation 11, after clause (c) and before the Explanation clause, the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that the investment limits of 66.67% specified under sub-clause (i) and 33.33% specified under sub-clause (ii) of clause (c) shall not be applicable to SWAGAT-FIs."

- V. in the Second Schedule,
 - i. in Clause 2, the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that in case of a SWAGAT-FI, the renewal fees shall be paid for every block of ten years to keep the registration in force."

ii. in Clause 3, the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that in case of a SWAGAT-FI, the renewal fees shall be collected in advance for every block of ten years, from the beginning of the eleventh year from the date of registration."

AMIT PRADHAN, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./511/2025-26]

Footnote:

- (1) Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000, the Principal Regulations, were published in the Gazette of India on September 15, 2000 vide S.O. No.832 (E).
- (2) The Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000 were subsequently amended:
 - (a) on June 7, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 501(E);
 - (b) on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No. 1045 (E);
 - (c) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E);
 - (d) on April 5, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2004 vide S.O. No. 469(E);
 - (e) on September 4, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. 1443 (E);
 - (f) on May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide No LAD-NRO/GN/2008/11/126538;
 - (g) on June 29, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009, vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/11/167759;
 - (h) on December 21, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2010, vide No. LAD-NRO/GN/ 2010-11/22/30364;
 - (i) on May 21, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262;

- (j) on December 30. 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2014, vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/20/1972;
- (k) on March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017, vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037;
- (l) on April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10;
- (m) on August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30;
- (n) on November 9, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2022, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/99;
- (o) on February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121; and
- (p) on September 6, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2024, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/203.